संख्या:49 /2023/1683 ई-2/तेरह-2023-248925

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 19 दिसम्बर, 2023

विषय:- मेसर्स श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि., सण्डीला, हरदोई की क्षमता वर्ष में 300 कार्यकारी दिवस को बढ़ाकर 350 कार्यकारी दिवस करते हुए आसवनी की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 165 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर 192.5 लाख ली. वार्षिक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: जी-116/ दो-प्रा.डी.-166/ श्री गंग इण्ड ज, दिनांक 05-12-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 05-12-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, प्लाट न. बी-2/6 एवं बी-2/7 यू.पी.एस.आई.डी.सी. इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-4, लखनऊ हरदोई रोड, सण्डीला, जनपद हरदोई आसवनी की वर्तमान में 55 कि.ली. प्रतिदिन अल्कोहल उत्पादन क्षमता को यथावत रखते हुए, आसवनी की वर्ष में 300 स्वीकृत कार्यकारी दिवस को बढ़ाकर 350 कार्यकारी दिवस करते हुए आसवनी की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 165 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर 192.5 लाख ली. वार्षिक किये जाने, जिसके अन्तर्गत बढ़ी हुयी क्षमता 192.5 लाख लीटर वार्षिक का 90 प्रतिशत अर्थात् 173.25 लाख लीटर पेय क्षमता तथा शेष 10 प्रतिशत अर्थात् 19.25 लाख लीटर औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) आसवनी द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता के संबंध में नियमानुसार लाइसेंस फीस जमा की जायेगी।

(2) आसवक द्वारा विस्तारित क्षमता का प्रयोग किये जाने के पूर्व श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग, केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों का पालन किया जाएगा।

(3) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक12-05-2022 द्वारा निर्गत कन्सेन्ट टू आपरेट प्रमाणपत्र में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा उक्त प्रमाण पत्र का नियमानुसार नवीनीकरण कराया जाएगा।

(4) आसवनी द्वारा अल्कोहल उत्पादन करते समय भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस) एवं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(6) उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इकाई द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता का उपभोग करने से पूर्व राजस्व बकाये के संबंध में जिलाधिकारी से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर तत्काल आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) आसवनी द्वारा एथनॉल संचय टैंकों में राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर एवं रिसीवर तथा एथनॉल संचय टैंकों के पश्चात मास फ्लो मीटर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**उमेश कुमार तिवारी**)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या:49 ई-2/तेरह-2023, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in